न्यायालय :– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–तीन, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रेम सिह धनवाल, आर.जे.एस

आपराधिक प्रकरण संख्या :– 07/2015
(सीआईएस नं 92/2015)

राजस्थान राज्य जरिये सहायक लोक अभियोजक

...अभियोगी

बनाम

1. ज्ञान सिह पुत्र कारे जाति–नट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर
2. उमेश पुत्र कारे जाति–नट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर ।
3. रविकुमार पुत्र रमचंदी जाति–नट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर ।
4. महेश पुत्र कारे जाति–जट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर।

...अभियुक्तगण

अपराध अन्त.धाराः 323,341,34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

1. सहायक लोक अभियोजक : राज.राज्य की ओर से
2. श्री अरविंद सिह, अधिवक्ता : अभियुक्तगण की ओर से

:– <u>निर्णय</u> –: <u>दिनांकः 11.09.2018</u>

01. प्रस्तुत प्रकरण पुलिस थाना सेवर भरतपुर ने अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 323, 341,34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध की अंवीक्षा हेतु इस

न्यायालय में दिनांक 03.01.2015 को पेश किया।

02. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि परिवादी मनोज उर्फ मुनिया ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इन तथ्यों की पेश की कि दिंनाक 14.11.2014 को दोपहर के करीब 2.30 बजे वह तथा उसके साथ योगेश, सुदेश और अन्य कई जने ग्राम लुधावई में पूजा समारोह में शामिल होने पहुचें तो विजय पुत्र मिठठन के घर बेठे थे तो वीनेश, सोनू, मोनू, जोगेन्द्र, ज्ञानी, उमेश, मुकेश, महेश, सूरज एक राय मशवरा करके आये और उसके साथ लाठीयों व डंडों से उसे घेर कर मारा पीटा और उसके जेब से 1500/–रुपये निकाल लिये। इसी बीच में इनकी औरतों ने उसके उपर पथराव भी किया जिससे वह सभी चोटिल हुये। वह सभी उससे पूर्व से रंजिश रखते है तथा पूर्व में भी कई बार ऐसा कर चुके है। हमें इनसे उसकी जानमाल का पूरा–पूरा अंदेशा भी है। घटना के समय काफी लोग थे जिन्होने यह वाका देखा है। आदि–आदि। जिस पर पुलिस थाना–सेवर, भरतपुर द्वारा एफआईआर नं 530/2014 अन्तर्गत धारा 143,323,341,379,504 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया एवं बाद सामान्य पुलिस अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 323,341,34 भा.द.सं. का आरोपपत्र पेश किया। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. बहस बाबत् आरोप सुनने के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 के आरोप सारांश मौखिक रुप से सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन समझकर अपराध करने से इंकार किया एवं अंवीक्षा चाही ।

03. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड.–1 मनोज उर्फ मनिया, गवाह पी0ड02 सुदेश, पी0ड03 योगेश, पी0ड04 विजय सिह, पी0ड05 मुकेश कुमार, गवाह पी0ड06 वीरेन्द्र सिह, पी0ड07डॉ फूल सिह चौधारी, को पेश कर परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–6 को प्रदर्श चिन्हित कराया गया।

04. अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो उसने सभी गवाहान द्वारा कहे कथनो को गलत बताया व सबूत सफाई मे कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा है।

05– बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

06– अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि

क्या अभियुक्तगण ने दिंनाक 14.11.2014 की दोपहर 2.30 बजे ग्राम लुधावई, थाना सेवर में मजरूबान मनोज उर्फ मुनिया, योगेश, सुदेश को स्वेच्छया निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया और साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूबान मजरूबान मनोज उर्फ मुनिया, योगेश, सुदेश के साथ कुन्दालाए से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की ?
यदि हॉ तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दंडित किया जाये?

7– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने पर गवाह पी0ड01 ने कथन किया है कि आज से 6 माह की बात है, दोपहर करीब डेढ–दो बजे का समय था। वह तथा उसके साथ योगेश, सुदेश, मुकेश ग्राम लुधावई में पूजा समारोह में शामिल होने पहुचे और विजय के घर बैठे थे। महेश, जोगेन्द्र,उमेश और रवि,मोनू व सोनू, अमित, मुकेश कुल 9–10 जने थे और इनके हाथानों मे ंलाठी, डडे थे। इन सभी ने घेरकर उसके साथ मारपीट की थी, उसके, योगेश, व सुदेश के मारपीट से चोटें आई थी। उसकी जेब से 1500 /–रुपये ज्ञानी ने निकाल लिये। ज्ञान व सभी ने लाठी, डंडे मारे थे। विजय व विजय के घरवाले एवं गांव वालों ने आकर बीच बचाव कराया। घटना की रिपोर्ट उसने प्रदर्श पी–1 की व चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है व डॉक्टरी मुआयना प्रदर्श पी–4 कराया जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसके साथ सभी

मुलजिमान ने करीब डेढ घंटा मारपीट की थी। वीनेश ने लाठी उसके पीछे मारी थी। जोगेन्द्र ने डंडा उसकी जांध पर मारा था। अमित ने भी डंडा मारा था। पूरे शरीर पर सूजन थी, पूरे शरीर पर चोटें आई थी।

08. गवाह पी0ड0 02 सुदेश ने कथन किया है कि दिंनाक 14.11.14 की बात है, दो ढाई बजे की बात है। वह, मनोज, जोगेश, कल्लू, मुकेश और भी साथ में थे, लुधावई पूजा में शामिल होने गये थे, अचानक महेश,जोगेन्द्र,ज्ञानी, उमेश, मुकेश, रवि मौनू, सोनू, अनिल, दिनेश अपने साथ लाठी, डंडा लेकर आये और उसके साथ मारपीट की, मारपीट से उसके बायें कंधे पर चोट आई और रवि ने सिर पर मारी उसके अलावा मनोज, योगेश के भी चोटें आई। बीच बचाव गावं के लोगों ने कराया। जहां घटना हुई उसकी घरवालों ने बीच बचाव किया।

इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि झगडा करीब 2–3 घंटा हुआ था। हमें घेर–घेर कर मारा था इसलिये इतना समय लगा,। हल्ला सुनकर गावं वालें आ गये होगें।

09. गवाह पी0ड03 योगेश ने कथन किया है कि आज से करीब साल भर पहले की बात है, दिन के 2–2.30 बजे की बात है। विजय के घर लुधावई में पूजा में गये थे। वह व मुनिया, सुदेश व दो चार अन्य लोग साथ गये थे। पहले से महेश, ज्ञानी, उमेश,रवि और मुकेश, जोगेन्द्र तैयार थे इन्होने मारपीट की, डंडे लाठी से, मारपीट में उसे मुनिया व सुदेश के भी चोटें आई, उसका मेडीकल हुआ जो प्रदर्श पी–5 है जिस पर उसका अंगूठा निशानी है।

इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उमेश, महेश, धमेन्द्र और ज्ञान ने उसके साथ मारपीट की, उसके शरीर पर 5–6 चोटें आई थी। हल्ला हेल सुनकर गावं के आस पड़ौस के लोग आ गये थे।

10. गवाह पी0ड05 मुकेश कुमार ने कथन किया है कि करीब 2 साल पहले, गावं लुधावई में पूरा समारोह था,पूजा समारोह में वह अपने गावं लुधावई से बांसी गये थे, मनिया, सुदेश, मोगरा और स्वंय वह, जब पूजा समारोह शुरु हुआ था तो

पुराने रंजिश को लेकर, वहां महेश, ज्ञान सिह, उमेश, जोगेन्द्र रवि,नवीन, मुकेश, वीनेश, सोनू और मोनू ये लोग वहां पर आये और अन्य लोग ने उनके साथ मारपीट की, मनोज उर्फ पूनिया, सुदेश के साथ मारपीट मे मनोज उर्फ मुन्नीया के पास आय 1500/–रुपये ले गये थे वो भी निकाल लिये। 2 दिन बाद घटना मे पुलिस आई व बयान लिये और गांव लुधावई जाकर जहां झगडा हुआ था, वहां का नक्श बनाया जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि बीच–बचाव कराने गांव के लोग आये जिन्होने बीच बचाव कराया। बीच बचाव कराने गावं के लोग करीब आधा घंटा बाद आये।

11. गवाह पी0ड06 वीरेन्द्र सिह ने कथन किया है कि वह दिंनाक 15.11.14 को एचसी था। उस दिन अजय यादव व एसएचओ नं मुक0नं0 530/14 धारा 143,321,341,379,504 भा0द0स0 की तफतीश उसे दी जिस पर उसके हस्ताक्षर है व गवाहान विजय सिह,योगेश, सुरेश, मुकेश व मनोज के बयानों के कहे अनुसार लिया व मजरुब मनोज, योगेश, सुरेश का मेडीकल एक्सरा शामिल पत्रावली किया व अनुसंधान से मुलजिम ज्ञान सिह के विरुद्ध धारा 323,341,34 भा0द0स0 का अपराध प्रमाणित पाया।

इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि सभी मजरुबान बांसी गॉव के थे जो लुधावई में विजय सिह के यहां पूजा समारोह में शामिल होने आये थे।

12. गवाह पी0ड07 डॉ फूल सिह चौधरी ने कथन किया है कि वह दिंनाक 15. 11.14 को आरबीएम अस्पताल में एम जे था उस दिन पुलिस थाना–सेवर की तहरीर पर मनोज उर्फ मुनीया के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 है तथा उसी दिन योगेश के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। तथा उसी दिन सुदेश के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि चोट सं 1 जो मनोज उर्फ मुनिया के आई है वह कुंद हथियार से आना प्रतीत होती है तथा मजरुब योगेश की चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की आना कथन किया है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन करने पर, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से यह तथ्य उजागर होते है कि दिंनाक 14.11.2014 को दोपहर 2.30 बजे वह तथा उसके साथ योगेश, सुदेश और अन्य कई जने ग्रम लुधावई में पूजा समारोह में शामिल होने पहुचें तो विजय पुत्र मिठठन के घर में बैठे थे तो वीनेश, महेश, सोनू, अमित, मोनू,रवि, जोगेन्द्र एकराय मशवारा करके और उसके साथ लाठीयां व डंडो से उसे घेर कर मारा पीटा। इस प्रकार तहरीरी रिपोर्ट में किसी दिशा विशेष में अभियुक्तगण को जाने से अवरोधित किया हो, ऐसी साक्ष्य नही दी गई है। इस सबंध में गवाह पी0ड01 मनोज उर्फ मनीया अपने न्यायालय बयानों में कथन करता है कि वह तथा उसके साथ योगेश, सुदेश, मुकेश ग्राम लुधावई में पूजा समारोह में शामिल होने पहुचे और विजय के घर बैठे थे। जोगेन्द्र और उमेश ओर रवि, मोनू, सोनू,अमित, मुकेश कुल 9–10 जने थे और इनके हाथों में लाठी,डंडा थे। इन सभी ने घेर कर मारपीट की थी। उसके योगेश व सुदेश के मारपीट से चोटें आई थी व सभी ने लाठी डडें मारे थे व विजय व उसके धरवाले एवं गांव वालों ने आकर बीच बचाव कराया। इसी प्रकार गवाह पी0ड02 सुदेश भी कथन करता है कि दिंनाक 14.11.14 की बात है, वह व मनोज, जोगेश, कल्लू, मुकेश और साथ में थे। वह लुधावई पूजा में शामिल होने गये थे। अचानक महेश, जोगेन्द्र, ज्ञानी,उमेश, मुकेश, रवि, मोनू, सोनू, अमित, दिनेश अपने साथ लाठी,डंडा लेकर आये व उनके साथ मारपीट की तथा यह भी कथन करता है कि रवि ने सिर पर मारी उसके अलावा मनोज,योगेश के चोटें आई। इसी प्रकार के कथन पी0ड03 योगेश भी, वह व मुनिया व सुदेश व 2–4 अन्य लोगों का साथ जाना और पहले से महेश, ज्ञानी, उमेश, रवि और मुकेश, जोगेन्द्र का तैयार रहना व इनके द्वारा लाठी,डंडे से मारपीट किया जाने का कथन करता है। ऐसी परिस्थिति में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा किसी दिशा विशेष में जाने से रोका गया हो, ऐसा कोई तथ्य कोर्ट बयान व पत्रावली पर नही आया है जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341 भा0द0स0 का अपराध नासाबित रहता है ।

14. जहॉ तक धारा 323/34 भा0द0स0 के अपराध का प्रश्न है तो इस प्रकरण के परिवादी पी0ड01 मनोज अपने न्यायालय बयानों में, उसके द्वारा लिखाई गई तहरीरी रिपोर्ट की पुष्टि करते हुये, मारपीट के सबधं में यह कथन किया है कि वह तथा उसके साथ योगेश, सुदेश, मुकेश विजय सिह के घर बैठे थे तो महेश, जोगेन्द्र,उमेश और रवि, मोनू, सोनू अमित, मुकेश आये, इनके हाथों में लाठी डंडे थे व इन सभी ने घेर कर उनके साथ मारपीट की थी और उसके व योगेश व सुदेश के मारपीट से चोट आई थी तथा यह गवाह अपनी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य कथन नहीं करता जिससे उसके कथनों पर अविश्वास किया जा सके । इसी प्रकार गवाह पी0ड02 सुदेश जोकि मजरुब है जोकि वक्त घटना मौके पर उपस्थित था, ने बयान किया है कि वह लुधावई पूजा में शामिल होने गये तब अचानक महेश ,जोगेन्द्र, ज्ञानी, उमेश, मुकेश, रवि, मोनू, सोनू , अमित, दिनेश अपने साथ लाठी डंडा लेकर आये और उनके साथ मारपीट की और मारपीट में उसके बायें कंधे पर चोट आई। इस प्रकार इस गवाह ने भी परिवादी के कथनों की पुष्टि की है। इस प्रकरण का दूसरा मजरुब जोकि न्यायालय में पी0ड03 के रुप में परीक्षित हुआ जिसने भी अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुये कथन किया है कि वह विजय के घर लुधावई पूजा में, मैं, मुनिया, सुदेश, व 2–4 अन्य लोग गये। पहले से महेश, ज्ञानी, उमेश, रवि, और मुकेश, जोगेन्द्र तैयार थे, जिन्होने मारपीट डंडे–लाठी से की और मारपीट में उसेमुनिया व सुदेश को भी चोटें आई व उसका मेडीकल हुआ था व उसका मेडीकल प्रदर्श पी–5 है तथा गवाह पी0ड05 मुकेश कुमार ने भी उक्त गवाहान के कथनों की पुष्टि में हू–ब–हू कथन किये है। गवाह पी0ड07 डॉ फूल सिह चौधरी ने अपने चोट प्रतिवेदन में मजरुबान मनोज उर्फ मुनिया के दो चोटे, दाये ंहाथ की तर्जनी अंगुली पर दर्द की शिकायत व बाई टांग पर दर्द की शिकायत होकर, साधारण प्रकृति की होना तथा मजरुब योगेश के एक चोट बायें हाथ में दर्द की शिकायत होना व मजरुब सुदेश के दो चोंटें बायें कंधे मे ंदर्द की शिकायत व खरोंच सिर में बांयी ओर आना व चोट सं 02 को साधारण प्रकृति व कुंदालय से आना प्रकट किया है एवं इस गवाह द्वारा सभी मजरुबान के आई चोटें साधारण प्रकृति की आना कथन किया है तथा गवाह पी0ड06 वीरेन्द्र सिह इस प्रकरण की तफतीश करना कथन करता है। गवाह पी0ड04 विजय सिह जोकि पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिससे अभियोजन कहानी पर

कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है । अतः उक्त गवहान की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य नही आया है जिससे कि अभियोजन कहानी को झूंठा माना जा सके। अतः उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह बिन्दु बखूबी साबित है कि अभियुक्तगण ने दिंनाक 14.11.2014 की दोपहर 2.30 बजे ग्राम लुधावई, थाना सेवर में मजरूबान मनोज उर्फ मुनिया, योगेश, सुदेश को साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूबान मनोज उर्फ मुनिया, योगेश, सुदेश के साथ कुन्दालाए से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323/34 के अपराध के लिये दोषसिद्ध घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा उन्हें धारा 341 भा0द0स0 के आरोपों में साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:– आदेश –:

15. फलतः अभियुक्तगण 1. ज्ञान सिह पुत्र कारे जाति–नट निवासी–लुधावई थाना– सेवर जिला भरतपुर 2. उमेश पुत्र कारे जाति–नट निवासी–लुधावई थाना– सेवर जिला भरतपुर 3. रविकुमार पुत्र रमचंदी जाति–नट निवासी–लुधावई थाना – सेवर जिला भरतपुर 4. महेश पुत्र कारे जाति–जट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये, दोषसिद्ध घोषित किया जाता है किंतु उन्हें धारा 341 भा0द0स0 के अपराध में साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(प्रेम सिह धनवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–तीन, भरतपुर

16. दण्ड के प्रश्न पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क पेश किया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है तथा पूर्व दोषसिद्धी के बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। अतः उनके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाये। अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया ।

17. सुना गया एवं विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर कोई पूर्व दोषसिद्धी को प्रमाणित करने वाली साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हये, अभियुक्तगण को उक्त अपराध की दोषसिद्धी में सजा से दंण्डित करने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:– आदेश –

18. फलतः अभियुक्तगण 1. ज्ञान सिह पुत्र कारे जाति–नट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर 2. उमेश पुत्र कारे जाति–नट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर 3.रविकुमार पुत्र रमचंदी जाति–नट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर 4.महेश पुत्र कारे जाति–जट निवासी–लुधावई थाना–सेवर जिला भरतपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये, दोषसिद्ध घोषित किया जाकर, आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण 1 वर्ष की अवधि के लिये 10,000/–रुपया का मुचलका व इसी राशि की जमानत इस बाबत तस्दीक करा दे कि वह शान्ति सद्भावना बनाये रखेगें और ऐसा अपराध पुनः नहीं करेगें और न्यायालय द्वारा सजा भुगताने हेतु बुलाने पर उपस्थित आयेगें तथा प्रत्येक अभियुक्तगण पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत् 500/–रुपये, 500/–रुपये कुल 2000/–रुपये (दो हजार रुपये) अभियोजन व्यय के रुप मे जमा करा दें तो उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 का लाभ दिया जावे तथा अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का भी लाभ दिया जाता है।

(प्रेम सिह धनवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–तीन, भरतपुर

19. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेम सिह धनवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–तीन, भरतपुर